



RERA REGISTRATION NO.: 18 of 2018 dated 12.10.2018 (www.haryanarera.gov.in)

सूचना

Licence No.: 63 of 2017 dated 03/08/2017

परियोजनाः The Roselia-2, कमर्सियल स्पेसः Signum 95 A जबकि

क्रमांक	आवंटी का नाम	आवंटित इकाई	बीबीए तिथि	टीपीए तिथि	रद्द करने की सूचना देने वाले बैंक के पत्र की तिथि	उक्त बैंक पत्र के बारे में आवटी को सूचित करने वाले पत्र की तिथि
1	YOGESH Kalra	B-1405	12-02-2019	25-03-2019	13-09-2023	22-09-2023
2	VIKRAM Sharma	L-507	14-05-2019	09-08-2019	13-09-2023	22-09-2023

- उपरोक्त आवंटी ने संबंधित बैंक के साथ प्रासंगिक समय पर एक त्रिपक्षीय समझौता किया था और तदन्सार, ऋण वितरित किया गया था।
- उक्त त्रिपक्षीय समझौता के अनुसार उक्त ऋण के भुगतान में चूक की स्थिति
 में आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि का मुगतान संबंधित बैंक
 की सचना पर बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को किया जाएगा।
- 4. संबंधित बैंक ने हमें सूचित किया है कि उपरोक्त आवंटी ने उक्त ऋण राशि के मुगतान में चूक की है और साथ ही आवंटन को उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शत्तीनुसार रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद सीधे बैंक को चुकाने के लिए कहा है।
- 5. उपरोक्त आवटी को उचित समय पर इस सूचना के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि उपरोक्त आवटी की ओर से उक्त ऋण की अदायगी में हुई चूक को ठीक करने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यह सूचना एक बार पुनः दी जा रही है।

इसके सूचना के जिरए सूचित किया जाता है उपरोक्त आवंटी ने यदि उक्त ऋण की अदायगी में में हुई चूक को अगले 10 दिनों में ठीक नहीं किया तो हम उक्त त्रिपक्षीय समझौता के शर्तानुसार संबंधित बैंक के सूचनानुसार आवंटन को रह (समाप्त) करने और प्राप्त राशि से बयाना राशि की कटौती के बाद शेष राशि को सीधे बैंक को चुकाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे मामले में, उपरोक्त आवंटी के पास उक्त आवंटन पर कोई ग्रहणाधिकार या दावा नहीं रहेगा और कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी भी व्यक्ति एवम पार्टी को उक्त आवंटन को बेचने, देने या स्थानांतरित करने की हकदार होगी।